Commr. (Plg) - II
Despatch 4652
Date 24/07/12

R&D CELL
VIKAS SADAN
Dy. No. 3925
Date. 23/7/12

बु॰वि॰/376297/2012/सुझाव पत्र/दि॰वि॰प्रा॰/166

दिनांक:21/05/2012

सेवा में,
उपाध्यक्ष महोदय,
दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास सदन,
आई एन ए, नई दिल्ली:110023.

आग्रहकर्ता :–
राकेश कुमार,
जी.27,बुद्ध विहार,फेस.1,दिल्ली:110086
मो: 9968241017

विषय:– दिल्ली मुख्य योजना 2021 में परिवर्तन करने परिवर्तन करने की अपील।
{ Put the Suggestions Mid term Review MPD-2021 File }

महोदय,

आपके कार्यालय में बु.विं/376297/2011/सुझाव पत्र/दि॰वि॰प्रा॰/291,दिनांक: 12/12/2011, एम जोन प्रीतम पुरा खुले मंच के 77 नः के तहत् संलग्न बु॰विं॰/ 376297/2011/सुझाव /दि॰वि॰प्रा॰/151, दिनांक: 01/05/2012 को प्रेषित करने के बाद आपके कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में अब तक की गई कार्यावाही की कोई जानकारी नहीं दी गई है अतः इस संदर्भ में निम्नलिखित पुनः सुझाव/स्मरण पत्र स्वीकार करने की कृपा करें।

1. राजधानी दिल्ली क्षेत्र की बकाया खेती वाली भूमि पर कंकरीट के जंगल ना बने ऐसी व्यवस्था हो।

2. सब डवीजन व छाटे प्लाटो/मकानो के नक्शे भी पास होने चाहिए।

2.1 नक्शे को पास करवाते वक्त पुराने मकानो को पूरा ना तोडने का प्रावधान होना चाहिए।

3. जिन क्षेत्रो में मकानो के नक्शे पास नहीं हो सकते उन क्षेत्रो में मान्यता प्राप्त वास्तुकार के माध्यम से या नक्शे वाले मकानो की तर्ज पर मकानो को बनाने की छूट हो इस संदर्भ में दिल्ली मुख्य योजना 2021 में व बिल्डिगं बाई ला में जरूरी बदलाव किये जाने की जरूरत है, ताकि गरीब आदमियो कें मकानो को सिविक ऐजेन्सियाँ ना तोड पायें।

4. राजधानी दिल्ली कि अनाधिकृत बस्तियों व अनाधिकृत अधिकृत बस्तियों के निवासियो/नियमित वोटो के अनाधिकृत मकान किस प्रकार नियमित हो ऐसी पालिसी बनायें या मौंजूदा पालिसी जरूरी बदलाव किये जाने की जरूरत हैं।

5. अनाधिकृत बस्तियों के निवासियो की दुकानो को मिश्रित श्रेणी में शामिल ना करके व्यव्सायिक श्रेणी में शामिल करने की कृपा करें तथा मानव हानि रहित व्यापारों करने की छूट देने की कृपा करें।

6. आम आदमी को राहत् देने तथा सरकार की आमदनी बढाने के लिए राजधानी दिल्ली सभी अनियमित बने मकानो में कुछ बदलाव करके नियमित करने का प्रावधान होना चाहिए।

7. राजधानी दिल्ली सभी अनियमित व नियमित बने मकानो में कुछ बदलाव करके अपने ही मकानो में पार्किगं कि व्यव्स्था करने का प्रावधान होना चाहिए, इस संदर्भ मे द्वारा छोटी बडी गाडियो के उत्पादन में नियॅत्रण हो यदि दि॰ वि॰ प्रा॰ चाहे तो सरकार को अति आवश्यक सलाह देने की कृपा करें।

Director (Plg.) MPR/TC,
D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2
Dy.No. L-34
Dated 25/7/12

8. नये बनने वाले मकानो की उचॉई में निम्न तल पर पूरी पार्किगं को 15मी॰ की हाईट में शामिल ना करने की कृपा करें।

9. प्रोत्त्साहन राशि सहित 100 मीटर के प्लाटो में जल संरक्षण के उपायो को जरूरी करने का प्रावधान होना चाहिए।

10. राजधानी दिल्ली कि अनाधिकृत बस्तियों व अनाधिकृत अधिकृत बस्तियों तथा गैर दि॰वि॰प्रा॰ निर्मित दुकानो से रजि॰चार्ज,कनवर्जन चार्ज,पार्किगं चार्ज,व्यव्सायिक श्रेणी का सम्पत्ति कर में केवल एक ही लेने की व्यव्स्था हो।

11. भविष्य की राजधानी दिल्ली की परियोजनाओ के मध्यनजर सरकार/दि॰ वि॰ प्रा॰ के पास उतनी व्यव्सायिक भुखण्ड/दुकानें/इकायियॉ है जो आज का मास्टर प्लान–2021 को पूर्णतय लागू करने से बन्द होगी इस संदर्भ मे दिल्लीवासियो जीवन यापन के लिए सभी अल्पआय व अति अल्पआय वर्गो की आर्थिक क्षमताओ का ध्यान रखते हुए मकान मालिक द्वारा स्वयउपयोग हेतु रिहायशी व मिश्रित श्रेणी को व्यव्सायिक लैड यूज बदलने की आसान प्रकिया का प्रावधान भी होना चाहिए।

12. फ्री होल्ड दि॰वि॰प्रा॰ निर्मित सिर्फ वह दुकानें जिनकी छत्ते नालीदार सीमेटं कि चादरो की व गोलाईनुमा हैं उन्हें आर॰सी॰सी॰ की सीधी छत्त/सीधी स्लैब डालने की छूट का प्रावधान हों।

13. सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए ली गीजि भूमि जिनका कब्जा पिछले 20 साल से सिविक ऐजेन्सियॉ के पास नहीं है ऐसी भूमि का ना तो जमींदार व कब्जा धारक ने खुले बाजार भाव से मुआवजा नहीं लिया और ना ही विकल्पिक प्लाट लिया हैं ऐसी भूमि के नक्शे पास करने का प्रावधान होना चाहिए।

14. सिविक ऐजेन्सियों तथा दूसरे सरकारी निकाय पुनःअवलोकित मास्टर प्लान–2021 र्दुपयोग कर अनाधिकृत व अनाधिकृत अधिकृत बस्तियों राजधानी दिल्लीवासियो/नियमित वोट को दुखी ना कर सकें।

15. दि॰वि॰प्रा॰ द्वारा सभी छोटे बडे नीजि बिल्डर्स का रजि॰ कर इनकी कार्यप्रणाली तथा इनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाला मटिरियल की नियमित जॉच का प्रावधान होना चाहिए।

16. एस॰सी/एस॰टी॰/ अल्पसख्यक व अन्यो की तरह आर्थिक व अन्य पिछडेवर्गो को राजधानी दिल्ली में सस्ते व किश्तो में मकान व भुखण्ड/दुकानें/इकायियॉ देने का प्रावधान जिससे सामाजिक व आर्थिक असमान्ता दूर हो सकें।

17. राजधानी दिल्ली की सभी सडको व संकीर्ण गलियो से छोटे–बडी गाडियॉ हटवाने का प्रावधान होना चाहिए।

पृष्ठ सॅख्याः 2.